शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 26 – 2 सितम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

यह वित्तीय संकट कहीं राजनीतिक संकट न बन जाये उभरने लगी आशंकाएं

- जब बजट के मुताबिक 2024–25 का वित्तीय वर्ष 10783.87 करोड़ के घाटे पर बन्द हो रहा है तो वित्तीय संकट कैसे
- बजट पूरा करने के लिये केवल 10783.87 करोड़ का कर्ज ही अपेक्षित था
- महिला कांग्रेस के आन्दोलन का राजनीतिक अर्थ क्या है?

शिमला/शैल। हिमाचल का वित्तीय संकट कहीं कांग्रेस के अन्दर एक और विद्रोह का कारण न बन जाये इसकी आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। इसका संकेत उस समय स्पष्ट हो गया था जब पिछले दिनों महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा को भाजपा विधायक पूर्व अध्यक्ष हंसराज के खिलाफ एक महिला द्वारा एफ.आई. आर. करवाने के बाद भी प्रदेश पुलिस द्वारा आगे की कारवाई नहीं की गयी। इससे यह सन्देश गया था कि शायद राज्य सरकार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। महिला कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर ही इस मामले में प्रदर्शन किया था। महिला कांग्रेस का यह प्रदर्शन भाजपा विधायक से ज्यादा अपनी ही सुक्खु सरकार के खिलाफ था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी ही सरकार की कार्य प्रणाली से खुश नहीं हैं। अब सरकार का वित्तीय संकट खुलकर सामने आ गया है जब मुख्यमंत्री स्वयं इस संकट पर विधानसभा में अपना ब्यान रख चुके हैं तब उसके बाद यह कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि कोई संकट नहीं है। यह फैसला तो वित्तीय अनुशासन लाने के लिये लिया गया था। संकट का सच उस समय स्वयं खुलकर सामने आ गया जब कर्मचारी और पैन्शनरों को समय पर भुगतान नहीं हो सका। इस संकट के लिये कौन जिम्मेदार है यह सुनिश्चित करने से ज्यादा यह महत्वपूर्ण हो गया है कि इस संकट का असर कहां-कहां पड़ेगा। यह स्पष्ट है कि संकट के चलते चुनाव के दौरान जनता को दी गयी एक भी गारंटी पर सरकार व्यवहारिक रूप से अमल नहीं कर पायेगी। बल्कि पहले से मिल रही सुविधाओं पर कटौती की जाने लगी है। यह स्थिति किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिये सुखद नहीं हो सकती क्योंकि उसे जनता के बीच जाना होता है और उसके सवालों का जवाब देना होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी दुविधा से गुजर रहा है। अभी चार राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश की स्थिति को इन राज्यों में उछालेगी। विश्लेषकों के मुताबिक राज्य की वित्तीय स्थिति पर सदन में मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा ब्यान नहीं रखा जाना चाहिए था। यह ब्यान रखना अपने में आत्मघाती कदम बन जाता है। माना जा रहा है कि सुक्खू के सलाहकार इस मामले में भारी गलती कर गये हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह उभर रहा है कि जब चालू वित्त वर्ष के लिये फरवरी में सदन में बजट पारित किया गया था तब उसमें वर्ष के अन्त में सिर्फ 10783.87 करोड़ का घाटा दिखाया गया था। जिसका अर्थ यह है कि वर्ष के राजस्व और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये यदि सरकार को कोई कर्ज भी लेना पड़ता है तो वह इससे अधिक का नहीं हो सकता था। क्योंकि बजट में तो हर चीज का सही आकलन और हिसाब रखा जाता है। सदन में पारित बजट के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति का इस मुकाम तक पहुंच जाना अपने में कई गंभीर स्वर खड़े कर देता है। बजट दस्तावेज के आईने में वर्तमान स्थिति का उभरना सामान्य समझ के बाहर की बात है। फिर अभी सरकार को तीन वर्ष का और कार्यकाल पूरा करना है। यह स्थिति प्रदेश के कार्यकर्ताओं से ज्यादा कांग्रेस हाई कमान के लिए चिंताजनक है। क्योंकि आज यदि किन्हीं कारणों से प्रदेश में चुनाव की स्थिति खड़ी हो जाये तो कांग्रेस का पुनः सत्ता में आना संभव नहीं होगा। यह है सदन में पारित 2024–25 का दस्तावेज। इस बजट के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाये गये हैं। इस बढ़ौतरी के बाद भी वेतन भत्ते निलंबित करने की स्थिति आना अपने में चिंता जनक है।

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक

(₹ करोड़ों में)

		वास्तविक 2022–23	बजट अनुमान 2023–24	बजट अनुमान 2024–25
क.	**राजस्व प्राप्तियां**			
	(i) राज्य प्राप्तियां	13469.92	16472.98	18739.39
	(ii) केन्द्रीय प्राप्तियां (including Central Taxes) of which	20468.44	18130.95	18141.47
	(a) केन्द्रीय करों में हिस्सा	7883.98	8478.02	10124.20
	(b) केन्द्रीय हस्तांतरण	12584.46	9652.93	8017.27
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अनुदान (excluding CSS Loans)	4151.14	3395.94	5272.22
	योग (राजस्व प्राप्तियां)	**38089.50**	**37999.87**	**42153.08**
ख.	**राजस्व व्यय**			
	(i) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	3190.03	2915.78	3878.27
	(ii) राज्य स्कीमें	41235.23	39788.22	42788.36
	योग (राजस्व व्यय)	**44425.26**	**42704.00**	**46666.63**
	निवल (राजस्व घाटा/ लाभ)*	**–6335.76**	**–4704.12**	**–4513.55**
ग.	**पूंजीगत प्राप्तियां**			
	(i) सकल ऋण (excluding W&M / overdraft but includes net PF receipts)	16260.94	11839.64	12759.11
	(ii) ऋणों की वसूलियां	82.79	26.07	27.55
	(iii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	12.59	0.00	0
	योग (पूंजीगत प्राप्तियां)	**16356.33**	**11865.71**	**12786.66**
घ.	**पूंजीगत व्यय**			
	(i) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	879.95	480.91	1401.98
	(ii) राज्य स्कीमें	8608.47	8227.81	8875.00
	(क) ऋणों की अदायगियां	3348.96	3486.64	3979.11
	(ख) पूंजीगत परिव्यय	5154.21	4721.48	4867.72
	(ग) अन्य	105.30	19.69	28.18
	योग पूंजीगत व्यय	**9488.42**	**8708.72**	**10276.98**
	राजकोषीय अधिशेष/घाटा*	**–12379.84**	**–9900.14**	**–10783.87**

*अधिशेष(+)/घाटा(-)

IV. व्यय का विश्लेषण

राज्य के व्यय का मानकवार विवरण कुल व्यय में प्रत्येक मानक के प्रतिशत हिस्से सहित नीचे दर्शाया गया है:

कुल व्यय में प्रतिशतता के रूप में मानकवार व्यय का विवरण

(₹ करोड़ों में)

		वास्तविक 2022–23	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2023–24	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2024–25	कुल का प्रतिशत
क.	**मानकवार विवरण**	**59234.95**	**97.59**	**52324.67**	**97.96**	**57163.63**	**97.81**
1.	वेतन	14149.32	23.31	14099.52	26.40	14687.51	25.13
2.	मज़दूरी	275.84	0.45	246.07	0.46	278.46	0.48
3.	सहायता अनुदान (वेतन)	1736.31	2.86	1798.58	3.37	2280.90	3.90
4.	सहायता अनुदान (अवेतन)	2734.01	4.50	2335.68	4.37	3001.10	5.14
5.	सहायता अनुदान (पूंजी परिसम्पतियां)	1376.62	2.27	779.97	1.46	798.54	1.37
6.	पैंशन	9283.87	15.29	8693.78	16.28	9961.10	17.04
7.	ब्याज	4828.64	7.95	5562.01	10.41	6255.34	10.70
8.	रख रखाव	2235.32	3.68	2774.88	5.20	2739.56	4.69
9.	मुख्य निर्माण कार्य	5310.29	8.75	4726.58	8.85	5782.31	9.89
10.	निवेश	423.04	0.70	228.11	0.43	175.95	0.30
11.	ऋण	10246.27	16.88	5506.35	10.31	5507.30	9.42
12.	उपदान	1973.32	3.25	1244.28	2.33	1188.62	2.03
13.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1150.48	1.90	1266.77	2.37	1438.48	2.46
14.	विद्युत् प्रभार	475.92	0.78	474.05	0.89	507.23	0.87
15.	अन्य प्रभार	1881.44	3.10	1429.50	2.68	1463.02	2.50
16.	सामग्री एवं सम्भरण	466.35	0.77	428.88	0.80	430.60	0.74
17.	मानदेय	471.48	0.78	529.66	0.99	577.09	0.99
18.	मशीनरी एवं औजार	216.44	0.36	200.01	0.37	90.50	0.15
ख.	**स्थापना सम्बन्धित**	**717.82**	**1.18**	**647.46**	**1.21**	**670.97**	**1.15**
	(क) यात्रा व्यय	42.99	0.07	40.71	0.08	40.51	0.07
	(ख) कार्यालय व्यय	200.78	0.33	158.67	0.30	164.91	0.28
	(ग) मोटर वाहन (बाह्य स्त्रोत वाहन/ पैट्रोल/मुरम्मत)	77.63	0.13	51.66	0.10	70.90	0.12
	(घ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	179.36	0.30	179.75	0.34	178.15	0.30
	(ङ) आउटसोर्सिंग प्रभार	181.19	0.30	167.71	0.31	171.62	0.29
	(च) अन्य	35.87	0.06	48.97	0.09	44.88	0.08
ग.	**अन्य**	**747.73**	**1.23**	**440.60**	**0.82**	**609.01**	**1.04**
	योग (क+ख+ग):	**60700.51**	**100.00**	**53412.72**	**100.00**	**58443.61**	**100.00**

प्रदेश में नशे के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा

राज्यपाल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के आदेश दिए

शिमला/शैल। प्रदेश में नशे के खिलाफ जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पंचायती राज संस्थानों और पंचायत समिति सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। पंचायत स्तर पर इस अभियान की सफलता के उपरांत इसे एकीकृत

तरीके से शुरू कर पुलिस और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताल शुक्ल की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई बैठक के दौरान द्वारा यह निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने विभाग को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के आदेश दिए ताकि इसके लिए शीघ्र अति शीघ्र उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को इस संबंध में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण विभाग बताया।

विभाग द्वारा इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्यो के साथ-साथ जागरूकता के लिए भी ग्रामीण स्तर पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के खिलाफ आम आदमी की भागीदारी भी सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। मादक पदार्थो की लत से जूझ रहे लोगों के लिए भी आम जनता का सहायक होना आवश्यक है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी जनमानस का सहयोग अत्यंत आपेक्षित है।

उन्होंने ग्रामीण स्तर पर जनता को वीडियो संदेशों व प्रचार सामग्री के माध्यम से जानकारी व जागरूकता करने की आवश्यकता पर बल दिया। अनिरुद्ध सिंह ने इस पहल के प्रति सभी स्तरों पर हरसंभव विभागीय सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं और मादक पदार्थो की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने नशा मुक्ति के संबंध में नियमों में बदलाव की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सिंथैटिक नशे का सेवन एक बड़ी चुनौती। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन व जिलों में तैनात उपायुक्तों के सक्रिय सहयोग से अभियान को सफलता मिलेगी। इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव राजेश शर्मा, राज्यपाल के सचिव सी. पी. वर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक राघव शर्मा, अतिरिक्त निदेशक नीरज चांदला, अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने राज्यपाल को एक्रोपिक्स परियोजना के बारे में जानकारी दी

शिमला/शैल। प्रो. एलिसन मैरी लोकोंटो के नेतृत्व में आईएनआरएई के चार फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के एक दल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर एक्रोपिक्स परियोजना पर चर्चा की,

जिसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती जैसी पारिस्थितिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। यह दल सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में अभिनव कार्यो की संभावनाएं तलाशने के लिए तीन सप्ताह के दौरे पर है।

राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती के प्रति हिमाचल प्रदेश के किसानों में उत्साह पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक किसान इस पद्धति को अपना चुके हैं। उन्होंने प्रमाणन और स्थिरता पहलों तथा कृषि पारिस्थितिकी में विश्वविद्यालय के अग्रणी प्रयासों की प्रशंसा की।

यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित एक्रोपिक्स परियोजना में 13 देशों के 15 सदस्य शामिल हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अपने इस दौरे के दौरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ बातचीत तथा खेतों का निरीक्षण करेंगे। वे वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खेती पद्धति को लागू करने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रगतिशील किसानों और प्राकृतिक खेती कंपनियों के साथ भी बातचीत करेंगे।

राज्यपाल ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एकजुटता से योगदान देने का आहवान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं का आह्वान किया है कि पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरणऔर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एकजुट होकर कार्य करें ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। राज्यपाल आज चंडीगढ़ में'टेड एक्स सुखना लेक' आयोजन को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठन 'आई एम स्टिल ह्यूमन' एवं अन्य द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम 'अतीत, वर्तमानऔर भविष्य' विषय पर आयोजित किया गया।शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वर्तमान ही बेहतर भविष्य का निर्माण करता है और युवा शक्ति स्वहित के साथभारत की सनातन परम्परा को आत्मसात् कर सुखद् भविष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।उन्होंने कहा कि हरित आवरणमें वृद्धि कर पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने युवाओं सेआग्रह किया कि नियमित रूप से पौध रोपण करें और रोपित पौधों की शिशु की तरह देखभाल करें। युवाओं को हरित आवरण बढ़ाने में अग्रदूत की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को अपनाया जाना आवश्यक है। सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सतत् विकास समय की मांग है किन्तु विकास के लिए प्रकृति का विनाश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सुरक्षा में हम सब का हित निहित है। राज्यपाल ने कहा कि नशा आज भारत सहित समूचे विश्व की ज्वलंत समस्या बन कर उभरा है। नशे पर रोकथाम के लिए समाज को सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ युवा ही देश की वास्तविक शक्ति हैं और नशे से युवाओं को बचाने के लिए जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण स्थाई विकास की कुंजी है। आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारयुक्त शिक्षा युवाओं के चरित्र निर्माण का आधार है। चारित्रिक रूप से मज़बूत युवा देश की वास्तविक धरोहर हैं और ऐसे युवा ही महिला सशक्तिकरण के संवाहक हैं। उन्होंने कहा की भारतीय जीवन पद्धति का अनुसरण जहां जीवन मूल्यों को स्थापित कर वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित रख सकता है वहीं युवाओं की क्षमता विकास में भी सहायक है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास गौरवमयी रहा है और हम सभी को देश के इतिहास से सीख लेकर विकास पथ पर अग्रसर होना है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा किदेश के समग्र विकास के लिए युवाओं से अनेक अपेक्षाएं हैं। उन्होंने युवाओं को समय-समय पर आत्मनिरीक्षण कर आत्मसुधार करने का परामर्श दिया ताकि युवा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देश की प्रगति के सूत्रधार बन सकें। उन्होंने कहा कि युवा जीवन पथ पर सदैव संवेदनशील बने रहें और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने सामाजिक प्रगति मे टैड एक्स जैसे मंच की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि विचारों काआदान-प्रदान लाभदायक बदलाव का सूत्र है। राज्यपाल ने इस अवसर परकार्यक्रम के विभिन्न वक्ताओं को सम्मानित भी किया।गैर सरकारी संगठन 'आई एमस्टिल ह्यूमन' के सह संस्थापक तथा टैड एक्स सुखना लेक के आयोजक विवेक मेहरा एवं भवप्रीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ता, उद्यमी, छात्र तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने वरिष्ठ पत्रकार गौरव बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वरिष्ठ पत्रकार गौरव बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका निधन बुधवार रात को 50 वर्ष की आयु में हुआ।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय सेवाएं दी। उन्हें बतौर पत्रकार प्रदेश के महत्त्वपूर्ण मुद्दों की बेहतर समझ थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च मापदंडों को अपनाकर उन्होंने निर्भीक होकर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दीं। इस क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा मार्गदर्शन के रूप में अपनाएगी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।

प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक पोषण माह का किया जाएगा आयोजन:शांडिल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का प्री-लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि 1 से 30 सितम्बर, 2024 तक प्रदेश भर में चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश

के भविष्य को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मानकों में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पोषण अभियान के अन्तर्गत छः वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों में अल्प पोषण, अनिमिया व कम वजन और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं की समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग व आयुष विभाग के समन्वय से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 'एक पेड़ मां के नाम' विषय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के ब्लॉक और जिला स्तर पर अन्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों, पर 31 अगस्त, 2024 को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त साईकल रैली, प्रभात फेरी, अन्नप्राशन दिवस, गोद भराई,गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, समुदाय आधारित दिवस भी आयोजित करवाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तीन रंग हिमाचली व्यंजन के विषय पर सोशन मीडिया पर एक कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाएगा। इस अवसर पर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंगमार, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण रूपाली ठाकुर और विभाग के वरिष्ठअधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टैन्टस लिमिटेड के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत संचालित हो रहे नए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से प्रदेश में निलम्बित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने टीसीआईएल प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान केंद्र के संचालन में अनियमितताएं सामने आयी थीं। तकनीकी शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में संचालित हो रहे विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया गया था और केंद्रों में हो रही अनियमितताओं के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही। राज्य के युवाओं के हुनर को निखारना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार गुणवतापूर्ण कौशल विकास कार्यक्रमों के माधयम से सशक्त बना रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन एक मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को

निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निरन्तर बढ़ रही है। परिवहन, विनिर्माण और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन से यह परियोजना उद्योगों और ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी होगी। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा और पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा होगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 20 माह के अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को एक स्वच्छ और हरित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक नवाचार कदम उठाए हैं। इस दिशा में उन्होंने चंबा में 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की पायलट परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके अलावा, जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है और अगले छह महीनों में दो और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने विभाग को राज्य में सौर ऊर्जा दोहन को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सलाहकार अधोसंरचना अनिल कपिल, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के निदेशक शिवम प्रताप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अधयक्षता करते हुए अधि

कारियों को निर्देश दिए कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्यो के कियान्वयन में तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने हेलीपोर्ट्स और होटलों सहित पर्यटन की परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इन परियोजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि नागर विमानन महानिदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को जिला कांगड़ा के पालमपुर में कम से कम पांच हजार लोगों की क्षमता वाले सम्मेलन कक्ष निर्मित करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों के लिए सुदृढ़ अधोसंरचना की आवश्यकता रहती है। इस तरह के निर्माण कार्यो से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्यो की भी समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्धा करवाता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड के उपाधयक्ष आर.एस बाली, प्रधाान सचिव देवेश कुमार, सचिव अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक पर्यटन मानसी सहाय ठाकुर, प्रमुख अभियंता एन.के सिंह और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एमएसपी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आईएनआरएई के चार वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की।

एलआईएसआईएस के उप निदेशक प्रो. एलिसन मैरी लोकोंटो के नेतृत्व में टीम में शोधकर्ता प्रो. मिरेइल मैट, डॉ. एवलिन लोस्टे और डॉ. रेनी वैन डिस शामिल हैं। वह प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आये हैं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। हिमाचल प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गेहूं 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्पाद प्रमाणन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीटारा प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है, जिसे किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-उन्नति योजना को राज्य में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादन और प्रमाणन करना है। इसके तहत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने और 2,600 कृषि समूह स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

आईएनआरएई के वैज्ञानिक तीन सप्ताह तक डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी और राज्य के अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। उनका दौरा यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित एक्रोपिक्स परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सह-नवप्रवर्तन गतिशीलता और स्थिरता के साक्ष्य की ओर कृषि-पारिस्थितिकी फसल संरक्षण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि-पारिस्थितिकी फसल संरक्षण में सह-नवप्रवर्तन को आगे बढ़ाना है।

प्रतिनिधिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों और सीटारा प्रमाणन प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईएनआरएई इस प्रमाणन प्रणाली को अन्य देशों में अपनाने की संभावना तलाशेगा।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक सुरेश कुमार, विवेक शर्मा, नीरज नैयर, विनोद सुल्तानपुरी, रणजीत सिंह राणा, सुदर्शन बबलू, सचिव कृषि सी. पालरासू, निदेशक बागवानी विनय सिंह, डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर चंदेल और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

एचपी शिवा परियोजना से प्रदेश की आर्थिकी होगी सुदृढ़:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदर विधानसभा क्षेत्र की धन्यारा पंचायत में एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत लीची पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इस क्लस्टर में 17

हेक्टेयर भूमि पर लीची के 13 हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। क्लस्टर से 65 परिवार लाभान्वित होंगे।

बागवानी मंत्री ने बताया कि शिवा परियोजना से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। उन्होंने क्लस्टर से जुड़ने वाले बागवानों से जागरूक रहने और अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया, तभी यह परियोजना सफल होगी। उन्होंने कहा कि शिवा परियोजना के पूरा होने पर 15 हजार से अधिक बागवान परियोजना से जुड़ जाएंगे। एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित इस परियोजना पर 1398 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और यह परियोजना प्रदेश के सात जिलों में चलाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई भयंकर बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से कोई अतिरिक्त राहत प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। केन्द्र से वही राशि मिली है जो आपदा के लिए हर राज्य को देय होती है। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रूपए की राशि आपदा में राहत कार्यो पर खर्च की है। मकान के टूट जाने पर 7 लाख रुपये की राहत दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में मनरेगा में डंगों के निर्माण इत्यादि पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किये गए। जबकि इस वर्ष भी लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व प्रदेश का समान विकास करना है। पिछली सरकार में विकास कार्यो में बंदर बांट हुई है। सराज विधानसभा क्षेत्र में ही 16 हेलीपैड का निर्माण कर दिया गया। वहां हर दूसरे गांव में विश्राम गृहों का निर्माण करवा दिया, जो आज खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कर्ज लेकर घी पिया है और प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ा है। संसाधनों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वहीं वर्तमान प्रदेश सरकार संसाधनों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने निषाद कुमार को पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेरिस में आयोजित हो रहे पैरालंपिक खेलों में जिला ऊना से सम्बन्धित निषाद कुमार को ऊंची कूद में रजत पदक जीतने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश के युवा ने इस खेल में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पदक जीता है। उन्होंने कहा कि यह निषाद कुमार के कड़े परिश्रम, समर्पण और खेल के प्रति प्रतिबद्धता का सुखद परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि निषाद कुमार की यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वह खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश व देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकें।

''धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती।'' ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या प्रदेश वित्तीय आपात की ओर बढ़ रहा है ?

मुख्यमंत्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विधानसभा में राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति पर एक लिखित वक्तव्य रखकर यह कहा है कि वह स्वयं और उसके सहयोगी मंत्री तथा मुख्य संसदीय सचिव अपने दो माह के वेतन भत्ते निलंबित कर रहे हैं। जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरेगी तब है यह वेतन भत्ते ले लेंगे। उन्होंने विधायकों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आंकड़े रखते हुये यह कहा है कि केन्द्र सरकार राजस्व अनुदान घाटे की भरपाई में लगातार कमी कर रही है और उसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है। सुक्खू सरकार ने दिसम्बर 2022 से प्रदेश की सत्ता संभाली थी तब से लेकर 31 जुलाई 2024 तक यह सरकार 21366 करोड़ का कर्ज ले चुकी है यह जानकारी सदन में रखी गई है। सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र भी सदन में रख चुकी है। इसके मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में हिमाचल सरकार 6800 करोड रुपए का कर्ज ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार अपने प्रबंधन के कौशल के सहारे इस सीमा से अधिक कर्ज ले चुकी है। कैग के मुताबिक प्रदेश का कर्ज जीडीपी का करीब 45% है जबकि यह अनुपात 3.5% से नहीं बढ़ना चाहिये। करोना काल में लगे लॉकडाउन में जब सारी गतिविधियां बन्द हो गई थी तब यह सीमा 3.5% से बढ़कर 6.5% कर दी गई थी जो अब पुरानी सीमा तक ला दी गयी है। प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े तंत्र को इन तथ्यों की जानकारी है। यहां यह भी उलेखनीय है कि राज्य सरकारों को अपना राजस्व खर्च अपने ही संसाधनों से पूरा करना होता है। राजस्व घाटा अनुदान सभी राज्यों को एक नियम के तहत ही मिलता है। पिछले दिनों जब नीति आयोग प्रदेश में आया था तब भी यह प्रश्न इस आयोग के सामने रखा गया था और यह जवाब मिला था कि सभी राज्यों को एक सम्मान नीति के तहत आबंटन होगा।

अब जब वेतन भत्ते निलंबित करने की जानकारी अधिकारिक तौर पर सदन के पटल पर जा पहुंची है और नेता प्रतिपक्ष ने इसमें यह जोड़ दिया है कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान 5 तारीख को तथा पैन्शनरों को पैन्शन का भुगतान 10 तारीख को होने की जानकारी है तो उससे स्थिति और गंभीर हो गयी है। क्योंकि यह भी जानकारी आ गयी है कि कर्मचारियों के जीपीएफ पर भी सरकार कर्ज ले चुकी है। वैसे तो सरकार की बजट में दिखायी गयी पूंजीगत प्राप्तियां जीपीएफ और लघु बचत आदि के माध्यम से जुटाया गया कर्ज ही होता है। लेकिन यह कर्ज कभी इस तरह से चर्चित नहीं होता था। वेतन भत्ते निलंबित करने का फैसला संबंधित लोगों का अपना फैसला है। इस पर सदन में कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता। शायद ऐसा फैसला सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि दो माह बाद यह वेतन भत्ते एक साथ ले लिये जायेंगे। वेतन भत्तों के निलंबन से कोई स्थाई तौर पर राजस्व नहीं बढ़ेगा बल्कि यह जानकारी अधिकारिक तौर पर केन्द्र सरकार तक पहुंच जायेगी कि राज्य सरकार समय पर वेतन भत्तों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं रह गयी है। केन्द्र इस स्थिति का अपने तौर पर आकलन करके संविधान की धारा 360 के तहत कारवाई करने तक की सोच सकता है।

दूसरी ओर प्रदेश के अन्दर राज्य सरकार के अपने खर्चो पर चर्चाएं चल पड़ेंगी। अभी यह सवाल उठने लग पड़ा है कि सरकार ने जो राजनीतिक नियुक्तियां कैबिनेट रैंक में कर रखी है उनका क्या औचित्य है। मुख्य संसदीय सचिवों के औचित्य पर सवाल खड़े होने लग पड़े हैं। अभी कामगार बोर्ड के अध्यक्ष का मानदेय 30 जुलाई को 30,000 से बढ़कर 1,30,000 कर दिया गया जबकि एक माह के भीतर ही निलंबन तक की स्थिति पहुंच गयी। इसी के साथ बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो रहा है कि संसाधन बढ़ाने के नाम पर आम आदमी की सुविधाओं पर तो कैंची चला दी गयी परन्तु राजनेताओं की ओर तो आंख तक नहीं उठायी गयी। अभी प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी आन्दोलन की राह पर है। सरकार की फिजूल खर्ची पहले ही उनके निशाने पर रह चुकी है। आगे यह आन्दोलन क्या आकार लेता है यह विधानसभा सत्र के बाद पता चलेगा। वेतन भत्तों के निलंबन से दो करोड़ की राहत मिलने का दावा किया गया है। यदि इस समय राजनीतिक नियुक्तियां पाये लोग स्वेच्छा से अपने पद त्याग दें तो प्रतिमाह इतनी बचत हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय में कर्ज के निवेश को लेकर सवाल उठेंगे और तब यह कहना आसान नहीं होगा की कर्ज से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया गया है। वेतन भत्तों के निलंबन की जानकारी सदन के पटल पर आना कहीं वितीय आपात का न्योता न बन जाये इसकी आशंका बढ़ती नजर आ रही है।

स्वच्छता मिशन को नया आकार देती प्लास्टिक वेस्ट रीसाइक्लिंग कंपनियां

एआई और रोबोटिक सिस्टम से प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग

भारत में हर साल 56 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट को रीसाइकल किया जा रहा । इस तरह प्रतिदिन 15600 टन प्लास्टिक वेस्ट को एकत्रित कर रीसाइकल किया जा रहा है।

शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के अंतर्गत 'रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल (3आर) की अवधारणा' अपनाकर कई 'प्लास्टिक वेस्ट रीसाइक्लिंग कंपनियां' स्वच्छता के इस मिशन को नया आयाम दे रही हैं। यह कंपनियां प्लास्टिक वेस्ट को पुनः उपयोग में लाकर नए बहुमूल्य उत्पाद में बदल रही हैं। इस तरह प्लास्टिक को पुनराकार देकर देशभर में इसका दबाव कम करते हुए स्वच्छ शहरों का कायाकल्प सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन महज नजर आने वाली स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मिशन के अंदर बड़ी मशीनरी, कई अभिनव प्रयास, विशेष योजनाएं, नए स्टार्टअप, निरंतर अनुसंधान, कई प्रेरक अभियान आदि के लिए बड़े स्तर पर जनशक्ति काम कर रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से कचरा खत्म करने के साथ–साथ लैंडफिल साइट्स पर पहाड़ बन चुके पुराने कचरे का भी निस्तारण किया जा रहा है।

आधुनिक संसाधन और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग का भविष्य – दिल्ली के प्रगति मैदान में 'ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग

एंड सस्टेनेबिलिटी' विषय पर जुलाई 2024 में इंटरनेशनल एग्जिबिशन लगाई गई। इसमें कई कंपनियां 'प्लास्टिक वेस्ट रीसाइक्लिंग' के शानदार उदाहरण लेकर आई, जिसे भारत के पहले 'रीसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी शो' का नाम दिया गया। इस प्रदर्शनी में कई ऐसे आइडिया और मशीनें प्रस्तुत की गई, जिनके माध्यम से एक बार इस्तेमाल के बाद बेकार या कचरा समझे जाने वाले प्लास्टिक को रीसाइकल कर नए उत्पाद में बदला जा सकता है। चार दिन की प्रदर्शनी में करीब 400 एग्जिबिशंस लगाई गई और 50 हजार से ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टर्स शामिल हुए। यहां प्लास्टिक को नया आकार देकर सामान्य सस्ते उत्पाद बनाने से लेकर रीसाइकल्ड प्लास्टिक से बने महंगे 'स्पोर्ट्स गियर' तक के बेमिसाल उदाहरण पेश किए गए।

एआई और रोबोटिक सिस्टम से प्लास्टिक की छंटाई : प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पर आधारित प्रदर्शनी में 'इशित्व रोबोटिक सिस्टम्स' की ओर से दुनिया की पहली ऐसी प्लास्टिक मैटेरियल की छंटाई करने वाले मशीन पेश की, जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सिस्टम की मदद से रंग, आकार, वजन, ब्रांड और किस्म का खुद ही अनुमान लगाकर प्लास्टिक की बोतलों और पैकेट्स की छंटाई कर सकती है। यह कंपनी 'वी शॉर्ट टु क्रिएट वैल्यू' के संदेश के साथ सॉर्टिंग मशीनें तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मशीनें ऐसी भी हैं, जो कैटेगरी के अनुसार सफेद, रंगीन और क्राफ्ट पेपर की छंटाई करने वाली मशीन भी इन्होंने विकसित कर ली है, साथ ही मेटल और ग्लास सॉर्टिंग मशीनों पर भी काम चल रहा है, जो जल्द ही विकसित कर ली जाएंगी।

ऑटोमैटिक सिस्टम से प्लास्टिक को मिल रहा आकार: प्लास्टिक को पिघलाने के बाद किसी

एक सांचे पर आधारित मॉल्डिंग मशीन में डालकर एक ही तरह का उत्पाद बनते हुए आपने कई फैक्ट्रियों में देखा होगा। मगर प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रदर्शनी में 'जनमोहन प्ला मैक' की ओर से ऐसी 'फुल्ली ऑटोमैटिक मॉल्डिंग मशीनें' प्रस्तुत की गईं, जो कि एप्लीकेशंस के आधार पर 'कस्टम मेड सीरीज' तैयार करती हैं। इनमें ब्लो मॉल्डिंग, डिफ्लेशिंग मॉल्डिंग, इंजेक्शन मॉल्डिंग और ऑप्शन फीचर वाली मशीनें शामिल हैं। प्लास्टिक का जैसा उत्पाद आप चाहें, वैसा तैयार करा सकते हैं यानी छत पर रखे प्लास्टिक के वॉटर टैंक से लेकर बेड, पानी की बोतलें, बड़े ड्रम, ट्रे, सॉकेट्स, गमले, केन, फर्नीचर, बच्चों के झूले और खिलौनों तक कुछ भी तैयार करा सकते हैं। यह कंपनी भारत समेत 64 देशों में 6 हजार से ज्यादा मशीनें स्थापित कर चुकी है।

ग्रीन बेंगलुरु बनाने को प्लास्टिक वेस्ट रीसाइक्लिंग: कर्नाटक राज्य प्लास्टिक एसोसिएशन के अनुसार शहर में प्लास्टिक की खपत हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 16 किलोग्राम तक है। यहां यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम 'प्रोजेक्ट पृथ्वी' की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कचरा बीनने वाले सफ़ाई साथियों के लिए 2019 में 'स्वच्छता केंद्र' के नाम से मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया। यहां 76 सफाई साथियों को कोरोना महामारी के मुश्किल समय में अच्छे वेतन के साथ नौकरी प्रदान की गई। स्वच्छता केंद्र का प्रबंधन 'हसिरू दला' नामक सामाजिक संगठन संभाल रहा है। स्वच्छता केंद्र पर प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के साथ उसकी श्रेडिंग और बेलिंग का भी काम किया जाता है, जिसके बाद यह रीसाइकिलर्स के लिए उपयुक्त हो जाता है। प्रोसेस की गई प्लास्टिक का उपयोग सड़क बनाने, कृषि उपयोग के लिए पानी की पाइप बनाने, फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जिससे यह प्लास्टिक का कचरा एक सर्कुलर इकॉनमी का हिस्सा बन जाता है।

धारावी : झुग्गी बस्ती या सर्कुलर इकॉनमी के लिए सोने की खान! मुंबई, महाराष्ट्र के धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती स्थित है, मगर इसे रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकॉनमी के नजरिए से सोने की खान कहा जाता है। धारावी के 15,000 कारखानों में सिर्फ़ मुंबई के कचरे को रीसाइकल करने और छांटने के लिए 250,000 लोग काम करते हैं। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग उद्योग में अकेले लगभग 10,000 से 12,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस

प्रक्रिया में छांटे गए पदार्थों को छंटाई, क्रशिंग के बाद मशीनों की मदद से माइक्रोप्लास्टिक में बदल दिया जाता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के कारण धारावी में प्लास्टिक वेस्ट को पिघलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में प्लास्टिक वेस्ट को पूरे भारत में उद्योगों को बेच दिया जाता है, जहां इसे पिघलाकर 60,000 विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद बनाकर पुनः उपयोग किया जाता है।

आपदा प्रबंधन के लिए भारत का लगभग 82% भौगोलिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के लिए बना चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील

–राजन कुमार शर्मा–
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ
डी.सी कार्यालय, नाहन जिला सिरमौर
हिमाचल प्रदेश

जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल की कृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, और क्षेत्रफल की कृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर है। परंतु हाल ही के आंकड़ों के अनुमान से जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो भारत ने चीन देश को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है जिसकी कुल आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई है। और अब यह आपदा की दृष्टि से देखें तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि जितनी अधिक आबादी होगी उतना ही अधिक यह आपदा प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण पूर्ण होगा। अगर आपदाओं के हिसाब से देखें तो भारत देश का लगभग 82: क्षेत्र विभिन्न प्रकार की तीव्र आपदाओं के लिए अति संवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिस कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के चलते जान एवं माल के नुकसान होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के पास इसके प्रबंधन एवं नियोजन के लिए व सुरक्षा की दृष्टि से उतने अधिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, जो कि इतनी अधिक जनसंख्या की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता के सटीक प्रबंधन की गारंटी प्रदान करती हो।

भारत एक विकासशील देश है एवं उनकी आर्थिक स्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर है, परंतु अगर हम पिछले कुछ दशकों के आंकड़ों की बात करें तो आपदाओं की प्रवृत्ति व आवृत्ति में अधिक वृद्धि हुई है, जिसमें की मानव निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाएं दोनों ही शामिल हैं। इसमें हम देखें तो भारत में सन 1951 से 2020 तक के दशकों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं में वृद्धि दर्ज की गई है, जिस में की सन 1951 से 1960 के दशक में इनकी संख्या 27 थी, सन 2001 से 2010 के बीच इनकी संख्या 162 थी और अगर हम 2010 से 2020 के दशक की बात करें तो इन आपदाओं की संख्या में 245 तक वृद्धि दर्ज की गई है जो कि अपने आप में ही अधिक व गंभीर वृद्धि चक्र को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर हम भारत में इन आपदाओं के प्रवृत्ति व आवृत्ति विशेष पर नजर डालें तो सन 1900 से 2011 तक विभिन्न प्रकार की आपदाओं में वृद्धि हुई है इसका प्रतिशत इस प्रकार से है: बाढ़ 40%, भूस्खलन 6%, हिमस्खलन 1%, तीव्र तूफान 26%, सुखा 2%, भूकंप 5%, महामारी 12%, और तीव्र तापमान 8% की वृद्धि दर्ज की गई है।

अगर हम इन सभी प्राकृतिक आपदाओं में से भूकंप के बारे में विस्तृत रूप से जाने तो भूकंप वह घटना है जब पृथ्वी प्राकृतिक रूप से एकाएक कंपन करने लगे एवं इसके कंपन से जान एवं माल को अधिक नुकसान हो उसे ही हम भूकंप कहते हैं।

भूकंप आने के कई कारण हैं: जिनमें से की एक प्रसिद्ध कारण धरती के नीचे विभिन्न प्रकार की भू–प्लेटों का आपस में घर्षण, एवं विस्थापन व एडजस्टमेंट के कारण होने वाले गतिरोध से ही भूकंप आने की घटनाएं होती हैं, विश्व में प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है जिसमें की सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं प्रतिवर्ष देखने को मिलती हैं, यह सब प्लेट–विवर्तनिकी सिद्धांत का ही एक रूप है। भूकंप को उनकी तीव्रता एवं संभावनाओं के अनुसार निम्नलिखित भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है: भूकंप क्षेत्र–2, 3, 4 और 5, इन सभी भूकंप क्षेत्रों में 4 और 5 जोन को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां पर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 9 तक भूकंप आने की संभावना होती है जो की भारी जान एवं माल के नुकसान को करने की क्षमता रखती है, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भूकंप क्षेत्र–5 में मुख्यत: जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, संपूर्ण उत्तर–पूर्वी राज्य व गुजरात राज्य के कुछ क्षेत्र श्रेणीबद्ध किए गए हैं।

इन अति संवेदनशील क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों के भाग भी शामिल हैं, तो हम यदि उनके बारे में अध्ययन करें तो हिमाचल प्रदेश में सन 1800 से 2008 तक लगभग अनुमानित 553 भूकंप सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप सन 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा–भूकंप के नाम से जाना जाता है, इस विनाशकारी भूकंप द्वारा उस समय बहुत अधिक जान एवं माल का नुकसान रिकॉर्ड किया गया था। इस भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 8.9 मेग्नीटयूड दर्ज की गई थी और इस भूकंप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ही लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु, 53,000 घरेलू जानवरों की मृत्यु, 1,00,000 घरों को पूर्णतया नुकसान तथा लगभग 2.9 मिलियन आधिकारिक रूप से आर्थिक नुकसान का आंकलन किया गया था।

भूकंप क्षेत्र 5 कि यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले तथा क्षेत्रफल जो की अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं उनका प्रतिशत इस प्रकार से है: जोन–5 व क्षेत्र– जिला कांगड़ा 98.80%, मंडी 97.40%, हमीरपुर 90.90%, चंबा 53.20%, कुल्लू 53.10%, ऊना 53.10%, बिलासपुर 25.30% भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, तथा किसी भी समय इन चिन्हित क्षेत्रों में 8 से 9 तीव्रता तक के भयंकर भूकंप के आने की प्रबल संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा समय–समय पर दी जाती रही हैं। यदि हम हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो यहां पर सभी प्रकार की आपदाओं की दृष्टिगत कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं जिन्हें की सर्वाधिक संवेदनशील श्रेणी (High Vulnerability Zone) में रखा गया है इनमें जिला चंबा, कांगड़ा के कुछ भाग, कुल्लू, शिमला के कुछ भाग, व किन्नौर जिला शामिल हैं। भारत के इतिहास में कुछ अधिक विनाशकारी भूकंप रिकॉर्ड हैं जिनकी अगर हम बात करें तो सन 1940 से 2005 तक लगभग तीन सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप सूचीबद्ध किए गए हैं–जिसमें की गुजरात के भुज में सन 2000 में 7.5 तीव्रता का भयंकर भूकंप जिसने की लगभग 20,000 व्यक्तियों की जान ली, असम राज्य में सन 1950 में 8.6 तीव्रता का भयंकर विनाशकारी भूकंप आया जिसमें की लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हुई, महाराष्ट्र राज्य में सन 1993 में 6.4 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया जिसने की लगभग 20 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया था आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 जून 1945 से 29 जुलाई 1997 तक भी विभिन्न प्रकार के भूकंप सूचीबद्ध किए गए हैं जो कि 5 से लेकर 7 तीव्रता तक मापे गए थे भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है जहां पर 4 अप्रैल 1905 के भयंकर एवं विनाशकारी भूकंप को बीते हुए लगभग 125 वर्षों से अधिक समय हो चुका है किसी बड़े विनाशकारी भूकंप को संबंधित एजेंसियों द्वारा अब तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश में बड़े भूकंप आने की कोई संभावना नहीं है यह किसी भी समय आ सकता है परंतु हमें पूर्ण रूप से भूकंप के प्रति जानकारी एवं जागरूकता होनी चाहिए, विशेष कर हमारे अति संवेदनशील क्षेत्रों जैसे की : विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी भवनों एवं अन्य निवास स्थलों व सामूहिक निवास स्थलों जहां पर अधिक संवेदनशील व्यक्तियों का समूह, भीड़ भाड़ रहती हो। भूकंप से बचने के लिए हमें भूकंप से पहले, दौरान एवं बाद में की जाने वाली कार्य विधि को पूर्ण रूप से समझना होगा तथा सरकार द्वारा भी समय–समय पर इससे संबंधित स्कीमों, परामर्शों व गाइडलाइंस जैसे की भवन बनाने से पूर्व हमें राष्ट्रीय भवन नीति–2016 को समझना है इसके अतिरिक्त भवन निर्माण में हमें भूकंपरोधी भवनों के निर्माण को अधिक तवज्जो देनी होगी व इसके साथ ही भूकंप से संबंधित मॉक अभ्यास को हमें अपने स्कूलों, सरकारी भवनों एवं अन्य संस्थाओं में प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित करनी चाहिए।

इसके साथ ही अपनी आपदा प्रबंधन योजना को भी तैयार रखनी चाहिए व उसी के आधार पर आगामी योजनाएं एवं कार्य विधियां तैयार करनी चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों से हम भूकंप से होने वाले अधिक जान एवं माल के नुकसान को कम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र रूप से विकराल रूप ले रही है व इसमें युवा वर्ग की संख्या अत्यधिक है तो हमें युवाओं के माध्यम से ही समुदाय को जागरूक एवं शिक्षित करना होगा तभी हम इस प्रकार की आपदाओं से भविष्य में पूर्ण रूप से बचाव कर पाएंगे तथा स्वयं एवं अपने परिवार व हमारे आसपास के समुदाय की रक्षा कर पाएंगे क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसे उसे पूर्ण रूप एवं ईमानदारी व निष्ठा से निभाना होगा तभी हम इन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे और भारत को एक सशद्र, आर्थिक, सामाजिक एवं विकसित राष्ट्र बनने में अपना यथासंभव सहयोग दे पाने में सक्षम बन पाएंगे।

साक्षरता बढ़ाना:भारत ने डिजिटल साक्षरता सहित विशेष क्षेत्र में सभी के लिए व्यापक कौशल को अपनाया

शिमला। देश में साक्षरता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भारत के अनुरूप साक्षरता के एक परिष्कृत और व्यापक विवरण की जानकारी दी है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में तेजी लाना है। यह एसडीजी 4.6 में भी सहयोग करता है, जो यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सभी युवा और वयस्कों का पर्याप्त अनुपात, पुरुष और महिला दोनों 2030 तक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल कर लें।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में उल्लास मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उल्लास योजना विकसित भारत की नींव रखती है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार इसे साकार करने में साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में वयस्क शिक्षा की बात करते हुए पैरा 21.4 में उल्लेख किया गया है:

''वयस्क शिक्षा के लिए मजबूत और नवीन सरकारी पहल–विशेष रूप से, सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के सहज और लाभकारी एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य में तेजी लाने के लिए जल्द से जल्द पूरा करने पर प्रभाव डालेगी।'' यह साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के बीच संबंध को रेखांकित करता है, तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे वित्तीय लेनदेन, नौकरी के लिए आवेदन, मीडिया और प्रौद्योगिकी की समझ, अधिकारों की समझ और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में भागीदारी में गैर–साक्षर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले नुकसानों को उजागर करता है।

इसके मद्देनजर, विभाग ने साक्षरता की एक स्पष्ट और समावेशी परिभाषा स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना है जो बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल से परे है। साक्षरता को अब इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, **'' पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता, यानी पहचान करने, समझने, व्याख्या करने और बनाने की क्षमता, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल आदि।''** यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति समाज में पूरी तरह से शामिल होने और योगदान देने के लिए तैयार हैं। विभाग ने भारतीय संदर्भ में 100 प्रतिशत या पूर्ण साक्षरता के लिए एक बेंचमार्क भी निर्धारित किया है, **''किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में पचानवे प्रतिशत साक्षरता 95 प्रतिशत हासिल करना पूरी तरह से साक्षर होने के बराबर माना जा सकता है।''** इस उन्नत परिभाषा को अन्य विशेषज्ञों के अलावा एनसीईआरटी और यूनेस्को के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया था। वरिष्ठ शैक्षिक सलाहकारों की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान बनी आम सहमति साक्षरता ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती है जो भारत के अद्वितीय सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृश्य में दृढ़ता से निहित होने के साथ–साथ वैश्विक मानकों को पूरा करती है।

इस परिभाषा की शुरूआत भारत की पूर्ण साक्षरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सरकार की इस प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ–साथ व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्राप्त करने का अवसर मिले। हाल ही में उल्लास योजना के तहत केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में 97 प्रतिशत से अधिक साक्षरता की उपलब्धि इन प्रयासों की प्रभावशीलता को और अधिक प्रदर्शित करती है तथा दूसरों के लिए अनुकरणीय मानदंड स्थापित करती है।

भारत सरकार सभी हितधारकों से साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को नवीनीकृत करने और एक पूर्ण साक्षर राष्ट्र प्राप्त करने के साझा लक्ष्य की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने का आहवान करती है। यह पहल एनईपी 2020 में उल्लिखित दृष्टिकोण को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भारत 2030 तक उल्लास के साथ पूर्ण साक्षरता तक पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ता रहे, जिससे जन जन साक्षर बने।

प्रदेश सरकार और ई.एफ.एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार और दुबई स्थित ई.एफ.

एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार विभाग के उप – निदेशक संदीप ठाकुर और ई.एफ.एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। राज्य सरकार की अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह, अभिनव शर्मा और जिला हमीरपुर के दिनेश को विदेश में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चयनित सभी पांच उम्मीदवारों की वीजा प्रक्रिया प्रगति पर है एवं सभी युवाओं की इस वर्ष के सितम्बर माह तक कार्य करने के लिए सउदी अरब जाने की संभावना है। प्रदेश के युवा वहां नियोम सिटी परियोजना में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भविष्य में लोगों को विदेशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह आयोजन प्रदेश सरकार की बेरोजगारी को दूर करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और प्रदेश के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओवरसिज़ प्लेसमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा विश्वसनीय भर्ती एजेंटों आरए को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग को प्रदेश से संबंधित विदेशों में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के कार्यस्थल माहौल और उनकी कुशलता के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन – 1100 को भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन करेगी। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है और ईएफएस फेसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा दुबई में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईएफएस की भारत में युवाओं की व्यापक नियक्ति नीति के अन्तर्गत आतिथ्य सत्कार, तकनीकी सेवाएं, हाउस कीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ और कार्यालय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में प्रदेश में 15 – 20 प्रतिशत नियुक्ति की जाएगी जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रदेश के एक हजार उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश सरकार के लगभग 20 माह के छोटे से कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31 हजार से अधिक पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपये महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्टार्ट – अप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

ई.एफ.एस. फेसिलिटीज सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने कहा कि कंपनी विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है और मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और यूरोप के लगभग 25 देशों में चल रही एकीकृत सुविधा में अग्रणी कंपनी है। उन्होंने कहा कि ई. एफ.एस. दिसम्बर, 2024 तक इस क्षेत्र में कम से कम 25 से अधिक उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का भर्ती शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थतों की भी कोई भूमिका नहीं रहेगी।

उन्होंने अपनी पुस्तक 'गेटिंग टू रेजिलिएंट मोड' मुख्यमंत्री को भेंट की।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु, श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और कंपनी के अन्य प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे।

पीएम जन-धन के 10 साल, 53 करोड़ खाते खोल किया कमाल:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन

धन योजना (PMJDY) के 10 साल पूरे होने पर इस योजना को वित्तीय समावेशन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत इस सोच के साथ करी कि भारत में हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता हो जिस से प्रत्येक नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ कर अपना जीवन सुगम बना सके। आज इस योजना के 10 साल पूरे होने पर इसकी लोकप्रियता ही इस योजना की सफलता का प्रमाण है। हांलाकि उस समय, कुछ लोगों ने इसे महज़ 'नौटंकी' कहकर खारिज कर दिया था जबकि आज यह भारत के वित्तीय इतिहास में सबसे सफल पहलों में से एक है, जिसने वित्तीय समावेशन परिदृश्य को मौलिक रूप से नया आकार दिया है। पिछले दस वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, यानी हर महीने औसतन 44 लाख नए खाते खोले गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पहली बार लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा 'जन धन खातों में कुल जमा राशि अब 2 लाख करोड़ को पार कर गई है, जो लोगों का प्रधानमंत्री व उनकी योजना पर अटूट भरोसे को दर्शाता है। इन छोटी बचतों ने अनगिनत लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ग्रामीण/अर्ध शहरी भारत में इस योजना का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहाँ 67% खाते इन क्षेत्रों में हैं। इसने वंचितों को सशक्त बनाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच अब दूर का सपना नहीं बल्कि सभी के लिए एक वास्तविकता है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा वित्तीय समावेशन के इस बदलाव में महिलाएं सबसे आगे रही हैं । जनधन खाताधारकों में 56% महिलाएं हैं। इसने न केवल वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, बल्कि लैंगिक समानता में भी योगदान दिया है, नारी शक्ति को सशक्त बनाया है। इस योजना द्वारा रखी गई नींव मजबूत है जिसके परिणाम खुद बोलते हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन, लोक निर्माण मंत्री ने की अध्यक्षता

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रायोजित एवं केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजनाओं की समीक्षा बैठक का

आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 23 सड़कें एवं 22 पुल स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से चार सड़कों के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं तथा अन्य 19 सड़कों के भी जल्द से जल्द टेंडर अवार्ड किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की सड़कों का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त 22 पुलों के टेंडर भी जल्द से जल्द अवार्ड किए जाएं। उन्होंने यह निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण को लगभग पूरा किया जा चुका है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री के साथ आयोजित हुई बैठक में विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक दिशा – निर्देश दिए ताकि प्रदेश की इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि इन परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत 2,097 करोड़ रुपये की 191 परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से 143 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिस पर अब तक 861 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

उन्होंने अधिकारियों को सड़कों से संबंधित निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। इस दृष्टि से सभी अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता है।

बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग अभिषेक जैन, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन, संयुक्त सचिव सुरजीत सिंह राठौर, प्रमुख अभियंता एनपी सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी एसजेवीएन

शिमला/शैल। एसजेवीएन को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के साथ कंपनी भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, जो एसजेवीएन की 36 साल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मौके पर एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा ने इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विद्युत मंत्री मनोहर लाल के निरंतर मार्गदर्शन और लगातार सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। शर्मा ने इक्विटी पार्टनर के रूप में कंपनी की हमेशा सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट किया।

शर्मा ने कहा कि नवरत्न का दर्जा उन चुनिंदा सीपीएसई को प्रदान किया जाता है जिन्होंने लगातार असाधारण वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधकीय दक्षता के साथ काम किया है। इससे हमें अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करने के लिए अधिक वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता मिलेगी। नवरत्न का दर्जा न केवल एसजेवीएन की पिछली उपलब्धियों को रेखांकित करता है बल्कि हमारे लिए बड़ी परियोजनाएं शुरू करने, रणनीतिक साझेदारी बनाने और 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के सरकार के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक मंच भी तैयार करता है।

कंपनी अब बिना किसी वित्तीय सीमा के अपनी परियोजनाओं पर निवेश कर सकती है, जिससे कंपनी के विकास में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त कंपनी सालाना अपनी नेटवर्थ का 30% तक निवेश कर सकती है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। यह बढ़ी हुई स्वायत्तता एसजेवीएन को संयुक्त उद्यम बनाने, विदेशी सहायक कंपनियों की स्थापना करने और अपने संचालन को अनुकूलित करने के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन करने की भी अनुमति देती है।

2008 में एसजेवीएन को प्रतिष्ठित मिनीरत्न का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में एसजेवीएन के पास 56,802.4 मेगावॉट का परियोजना पोर्टफोलियो है। इसमें कुल 2466.5 मेगावॉट स्थापित क्षमता की तेरह परियोजनाएं संचालन में हैं और 75 परियोजनाएं जल विद्युत, सौर, पवन, थर्मल और ट्रांसमिशन लाइनों पर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1988 में स्थापित कंपनी पूरे भारत और नेपाल में परिचालन के साथ एक बहुआयामी बिजली इकाई के रूप में विकसित हुई है।

प्रदेश सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में कर रही है कार्यः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'वैटलैंड्स फॉर लाइफ' फिल्मोत्सव एवं फोरम का शुभारम्भ किया। हिमाचल प्रदेश राज्य वैटलैंड प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् और पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

इस फिल्म उत्सव के दौरान गार्डियन्स ऑफ वैडलैंड्स, वुमेन एज स्टीवर्ड्स ऑफ कंजरवेशन, ग्रीन रेणुका जी फेयर ए कलेक्टिव एडेवेर ऑफ रेणुका लेक और म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट अराउंड वैटलैंड्स इन हिमाचल, इनिशिएटिव ऑफ हीलिंग हिमालयाज़ सहित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदेश की नैसर्गिक सुन्दरता और पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलन के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा के गहरे ज़ख्मों का सामना किया। आपदा के कारण प्रदेश का हर भाग प्रभावित हुआ। वर्तमान में किन्नौर और लाहौल-स्पिति में अत्याधिक बारिश हो रही है जबकि वहां पहले बारिश नहीं होती थी। कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण में हो रहे बदलावों के फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रदेश सरकार के साथ-साथ लोगों को भी इस जन अभियान से जुड़ने की आवश्यकता है क्योंकि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को तैयार करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य हिमाचल को पर्यावरण की दृष्टि से सुन्दर एवं स्वच्छ राज्य बनाना है जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हिमाचल को नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से आत्मनिर्भर राज्य बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रमुखता से कार्य कर रही है। प्रदेश में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ई-बसें खरीदने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, सोलन जिला के नालागढ़ में एक मैगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोकार्बन परियोजना का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकतम दोहन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और जिला ऊना के पेखूबेला में 32 मैगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यशील किया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश समूचे उत्तर भारत को प्राण वायु प्रदान करता है और सरकार वनों की रक्षा के लिए महिला समूहों को शामिल कर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के फिल्म उत्सव वैटलैंड के महत्त्व और इससे सम्बंधित मुद्दों को प्रदर्शित करते हैं। वैटलैंड और झीलें हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। वैटलैंड्स के महत्त्व पर आधारित ये फिल्में युवाओं को इनके संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने वैटलैंड्स के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने वाले सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हालांकि वैटलैंड्स पृथ्वी की सतह के 6 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं, इसके बावजूद दुनिया में पाई जाने वाली लगभग 40 प्रतिशत पौधों और जीव-जन्तुओं की अनके प्रजातियों की यह निवास स्थली है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता के अतिरिद्ध ये वैटलैंड्स प्रदेश के लोगों को पानी, भोजन और आजीविका उपलब्ध करवाते हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पर्यावरणविद् एवं पीपुल्स साईस इंस्टीटयूट के संस्थापक डॉ. रवि चोपड़ा और विषय विशेषज्ञ एवं नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. सोमनाथ बंदोपाध्याय ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

हिमकोस्टे के सदस्य सचिव डी. सी. राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

वैडलैंड्स मनैजमेंट ऑफ बायोडावर्सिटी एंड क्लाईमेट प्रोटेक्शन के परियोजना प्रबंधक कीर्तिमान अवस्थी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायकगण और अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

भाजपा गरीब कल्याण और राष्ट्र विकास का लक्ष्य लेकर चलने वाली पार्टीःबिंदल

शिमला/शैल। सोलन, मण्डलों में सदस्यता प्रशिक्षण अभियान के बाद जोन स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हुए नहान शहर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता पर आधारित पार्टी है जिसमें देश प्रथम, पार्टी द्वितीय व स्वयं को अंतिम स्थान पर रखकर गरीब कल्याण और राष्ट्र विकास का लक्ष्य लेकर चलने वाली पार्टी है। देश के अन्य सभी राजनैतिक दल परिवारवाद और परिवार पर आधारित दल है जिनके लिए परिवार सर्वोपरि है, पार्टी दूसरे स्थान पर है और राष्ट्रीयता उसके बाद में है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि भाजपा का सदस्य बनने वाला व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता बनता है तत्पश्चात नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। दूसरी पार्टियों में केवल परिवार ही प्रथम है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, पूरी तरह से दिशा विहिन हो चुकी है। 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को हर स्तर पर नुकसान पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। खजाना खाली का रोना रोते-रोते पूरा समय बीता दिया और जनता को धोखा देने के लिए तरह-तरह के नाटक रचकर सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान बंटाने में जुटी हुई है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 7 रूपये लीटर डीजल के दाम बढ़ाए, बसों के किराए बढ़ाए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई और आज तो सामान्य व्यक्ति के उपयोग में आने वाले चावल के दामों में 25 प्रतिशत की वृद्धि और आटे के दामों में 30 प्रतिशत वृद्धि करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होनें कहा कि सुक्खू सरकार आम जनमानस को महंगाई का दण्ड दे रही है और अपने मित्रों को सरकारी खजाने से मालामाल कर रही है।

एनएचपीसी लिमिटेड को 'नवरत्न' कंपनी का दर्जा मिला

शिमला/शैल। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड एनएचपीसी को भारत सरकार द्वारा 'नवरत्न' कंपनी का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त, 2024 को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, एनएचपीसी को 'नवरत्न' कंपनी घोषित किया गया है, जिससे

इसे ज्यादा परिचालनीय और वित्तीय स्वायत्तता मिल गई है।

एनएचपीसी के सीएमडी श्री आर. के. चौधरी ने कहा, यह एनएचपीसी परिवार के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है और साथ ही यह हमारी उल्लेखनीय वित्तीय और परिचालनीय उपलब्धियों को मान्यता देना है। उन्होंने एनएचपीसी परिवार की ओर से विद्युत मंत्रालय के प्रति उनके एनएचपीसी पर अटूट विश्वास और उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया गया है। चौधरी ने यह भी कहा कि, एनएचपीसी भारतीय विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही है और इसमें देश की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम एक पूर्ण हरित विद्युत कंपनी हैं, जिसने पवन और सौर ऊर्जा विकल्पों में भी विविधता लाई है।

'नवरत्न' का दर्जा मिलने से एनएचपीसी को कई अहम फायदे होंगे। इससे निर्णय लेने में तेजी आएगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और कर्मचारी सशक्त होंगे। इससे प्रमुख पूंजीगत व्यय और निवेश योजनाओं को समर्थन मिलेगा, विकास को गति मिलेगी, बाजार पहुंच का विस्तार होगा तथा दीर्घकालिक लाभ हासिल होंगे। एनएचपीसी के पास संयुक्त उद्यम और विदेशी कार्यालय स्थापित करने, नए बाजारों तक पहुंचने और स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए बढ़ी हुई शक्तियां होंगी। इसके अलावा, यह तकनीकी गठबंधनों को आगे बढ़ाकर और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करके नवाचार को बढ़ावा देगा। यह विलय और अधिग्रहण को सुगम बनाएगा, जिससे विकास और बाजार की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी।

वर्तमान में, एनएचपीसी की कुल स्थापित क्षमता 7144.20 मेगावाट है और कंपनी वर्तमान में कुल 10442.70 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है। इनमें 2000 मेगावाट क्षमता की सुबनसिरी लोअर परियोजना असम/अरुणाचल प्रदेश और 2880 मेगावाट क्षमता की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में, एनएचपीसी 50000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। एनएचपीसी 2032 तक 23000 मेगावाट और 2047 तक 50000 मेगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

शिमला के विकासनगर में 150 करोड़ की लागत से बनेगा बहुउद्देशीय भवनः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण

(हिमुडा) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हिमुडा शिमला के विकासनगर में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करेगा और यह प्रस्तावित परिसर शिमला में सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा।

उन्होंने कहा कि 10 बीघा भूमि पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिसर में सरकारी कार्यालय, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक होटल तथा दो मंजिलें पार्किंग के लिए होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा और 18 माह के भीतर इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन की वास्तुकला प्रदेश की समृद्ध विरासत तथा संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा कि इस भवन को सौर ऊर्जा सुविधाओं के साथ एक हरित तथा पर्यावरण अनुकूल भवन के रूप में डिजाइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमुडा को इस निर्माण कार्य से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने तथा परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनारथा, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा संदीप कुमार, निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन कमल कांत सरोच तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या भाजपा अपने मुद्दों के प्रति गंभीर है?

- क्या प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सही में चर्चा हो पायेगी?
- क्या विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ उठाये मुद्दे पर भाजपा गंभीर है?
- क्या भाजपा हिमाचल की स्थिति को हरियाणा में भुनायेगी?

शिमला/शैल। भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपकर विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि अध्यक्ष का आचरण सदन के अन्दर पक्षपात पूर्ण रहता है। आरोप है कि भाजपा विधायक दल ने नियम 67 के तहत प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये स्थगन प्रस्ताव दिया था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा ने राज्यपाल के संज्ञान में यह भी लाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने भाषण देते हुये कहा कि मैंने छः विधायकों के सिर कलम कर दिये हैं और तीन मेरे आरे के नीचे तड़प रहे हैं। यह शब्द अलोकतान्त्रिक और असंसदीय है। इससे विधायकों की भावनाएं आहत हुई हैं और अध्यक्ष पद की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। सदन के अन्दर विधायक इन्द्रदत लखनपाल द्वारा यह मुद्दा उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने खेद प्रकट करना तो दूर अपने शब्द भी वापस नहीं लिये। मीडिया के सामने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मेरे से बहुत जूनियर है वह मुझे क्या सिखायेंगे। इसी के साथ राज्यपाल के संज्ञान में यह भी लाया गया कि भाजपा विधायक दल ने नियम 274 के तहत विधानसभा सचिव को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सत्र शुरू होने पर अपने आसन पर आकर बैठ गये। जबकि नैतिकता के आधार पर उन्हें संकल्प पेश होने और उस पर चर्चा तथा मतदान होने तक आसन पर नहीं आना चाहिये था।

यह आरोप अपने में गंभीर है स्वभाविक है कि यदि यह आरोप आगे बढ़ते हैं तो स्थितियां और भी कठिन हो जायेंगी। इसलिए अन्ततः दोनों पक्षों में यह मुद्दा यहीं रुक जायेगा। लेकिन यह अपने में ही महत्वपूर्ण है कि एक समय अध्यक्ष भाजपा विधायकों के खिलाफ अवमानना की कारवाई करने के लिये तैयार थे। बल्कि यहां तक बात आ गयी थी कि यदि मुख्य संसदीय सचिवों के प्रकरण में कुछ आगे बढ़ता है तो उसका जवाब भाजपा विधायकों के खिलाफ कारवाई के रूप में सामने आयेगा। इस लिये अब यह मामला भाजपा-कांग्रेस का आपसी मामला होकर रह गया है और आम आदमी इसमें से गायब हो गया है। भाजपा नियम 67 के तहत प्रदेश की बिगड़ी वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने की मांग लेकर आयी थी जो इस घटनाक्रम में पर्दे के पीछे चली गयी। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर अपना लिखित वक्तव्य रखा। लेकिन इस ब्यान के बाद एक दम यू टर्न लेते हुये यह कहा कि प्रदेश की स्थिति एकदम ठीक है। वेतन भत्तों के विलम्बन का फैसला तो व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक सख्त कदम है।

सरकार का इस तरह से चौबीस घंटे में अपना स्टैंड बदलना कई सवाल खड़े करता है। प्रदेश की जनता को यह जानने का हक हासिल है कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है। क्यों प्रदेश सरकार को हर माह एक हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लेना पड़ रहा है। इस स्थिति में तो इस सरकार के अपने कार्यकाल का ही कर्ज साठ हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर जायेगा।

यह सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप पूर्व की जय राम सरकार पर लगाती आयी है। वित्तीय स्थिति पर लाये श्वेत पत्र में भी यह आरोप दर्ज है। आज जब सरकार तय समय पर अपने कर्मचारीयों और पैन्शनरों का भुगतान नहीं कर पायी है तब विपक्ष के पास एक अवसर था कि इस संबंध में सारी सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने लाने के लिये सरकार को बाध्य करते। इस सदन में रोजगार और आउटसोर्स कर्मियों के लेकर आये सवालों के जवाब में सूचना एकत्रित की जा रही है का ही जवाब आया है। जब किसी भी कारण से मुख्यमंत्री को अपने वेतन भत्तों को निलंबित रखने का फैसला सदन की जानकारी में लाना पड़े तो उसके किसी भी वायदे पर कितना भरोसा किया जा सकता है यह एक सामान्य समझ का प्रश्न है। कांग्रेस की सरकार लोगों को गारंटीयां देकर सत्ता में आई थी। प्रदेश कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को सरकार में स्थान न मिलने पर किस हद तक मुखर हो गये थे पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन इस समय आम आदमी के सवाल पर सारा नेतृत्व खामोश हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष हिमाचल की स्थिति को हरियाणा के चुनावों में मुद्दा बनायेगी। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में भाजपा की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं कि भाजपा प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर एक विपक्ष से ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। इस समय वित्तीय स्थिति पर आम आदमी के सामने सारी स्थिति आनी चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होने जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी किसी भी दल के किसी भी वायदे पर विश्वास नहीं कर पायेगा?

डी.ए. और एरियर की मांग के समर्थन में उतरा सचिवालय पैन्शन वेलफेयर संघ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सचिवालय पैन्शन वेलफेयर संघ के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा, उपप्रधान नीलम चौहान, महासचिव भूपराम वर्मा ने एक संयुक्त ब्यान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ द्वारा देय डी.ए. और एरियर के लिए सरकार से जो मांग उठाई जा रही है उसका भरपूर सर्मथन करते है और सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आगामी जो रणनीति इन मांगों को मनाने के लिए बनाई जाएगी उसका पूरा सहयोग किया जायेगा और जब तक यह मांगे सरकार नहीं मान लेती है और कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए नही बुलाती तब तक पैन्शनर कल्याण संघ भी संघर्षरत रहेगा। सरकार ने पिछले कल सचिवालय कर्मचारियों महासंघ के नेताओं को 15 दिन का नोटिस भेजा है जिसका पैन्शनर कल्याण संघ कड़ी निन्दा करता है। ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगो को रखने का हक सरकारी कर्मचारियों को है आज तक गेट मिटिंग करने पर कभी भी ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ था जो बिलकुल तर्कसंगत एवं न्यायोचित नही है। सरकार ने कर्मचारी और पैन्शनरों को आपस में बाटने का काम जारी रखा हुआ है। 01.01.2016 से 31.12.2021 के बीच सेवानिवृत हुए कमचारियों के वितिय लाभ संशोधित वेतनमान का भुगतान अभी तक नही हुआ है जबकि 01.01.2022 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जा रहे है जो एक अन्याय और पक्षपात है। संघ इस मामले को सरकार से बार-बार उठाता रहा परन्तु कोई कारवाई नही होने पर सचिवालय पैन्शनर संघ ने 147 पैन्शनरों की याचिका माननीय उच्च न्यायलय में दायर की जिसका फैसला 22.03.2024 को आया जिसमें न्यायालय ने 6 प्रतिशत ब्याज सहित छः सप्ताह में सरकार को अदायगी के आदेश पारित किए परन्तु सरकार ने न्यायालय के फैसले के विरूद्ध एलपीए दायर कर दी और बावजूद अवमानना याचिका दायर करने के बाद भी सरकार देय राशि नहीं दे पायी है। जो चिन्ता का विषय है।

सरकार को बने लगभग 18 महीने का समय हो गया है परन्तु कर्मचारियों की मंहगाई भते की तीन किश्तें एवं बकाया वितीय लाभ देने में असर्मथ रही है। प्रदेश का पूरा कर्मचारी वर्ग और पैन्शनरर्ज इस समय सरकार की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट नही है क्योंकि सरकार फिजुलखर्ची कर रही है। सरकार ने मन्त्रियों एवं विधायकों के वेतन और भत्ते चुपके से बढ़ा दिये है और कर्मचारियों के लिए खजाना खाली की बात करते है जबकि राजनितिक नियुक्तियां, सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्तियां, सरकारी भवनों की मुरम्मत में करोड़ो रूपए खर्च किए जा रहे है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का बहाल करना भी जनहित में नहीं है जिसका सभी कर्मचारी वर्ग विरोध कर चुके है जिस पर करोड़ों का खर्च आएगा।

सरकार कर्मचारियों व पैन्शनरों की न्याय उचित मांगों को तुरन्त माने और सचिवालय कर्मचारियों को वार्ता के लिये बुलाये अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश के सभी कर्मचारीऔर पैन्शनर आन्दोलनरत होगें। संघ सभी कर्मचारी संगठनो व महासंघो से अपील करता है कि सभी संगठन एक मंच पर इकट्ठा हो जायें और सरकार की दमनकारी नीतियों का डट कर विरोध करें और एकरूपता का परिचय दें। यदि सरकार 15 सितंबर 2024 से पहले कर्मचारियों एवं पैन्शनरों के मसलों को नही सुलझा पाती है तो भारतीय राज्य पैन्शनर महासंघ हिमाचल प्रदेश महामहीम राज्यपाल को अपनी मांगो के समर्थन में ज्ञापन देगें और अपना आंदोलन उग्र कर देंगे।